	[illegible]	[illegible]
8	[illegible] दिनांक 31/03/18 को दिया है। Piy	
9	दिनांक [illegible] 4/4/18 को दिया है। Piy	
10	मुकदमे के कागजात के कारण पूर्वोक्त पालने नहीं हुई दिनांक ...11/04/18..... को पेश हो। Piy	
11	वकील वादी का [illegible] प्रार्थना [illegible] पूर्वोक्त पालने [illegible] 12/4/18 को दिया है। Piy	
12	वकील [illegible] पूर्वोक्त पालने [illegible] दिनांक 24/4/18 को दिया है। Piy	
13	पंचायत [illegible] अधिनियम [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि [illegible] में आपसी रजामंदी [illegible] है, मौके पर अब कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। प्रकरण को इसी स्तर पर डीफर (स्थगित) कर [illegible] किया जाता है। पंचायत [illegible] कैलाश कुमार [illegible] नामजद किया है। Piy	[illegible] (Pr [illegible])